



Win a couple romantic date
Play now >



NBT ▾ टेक न्यूज़ टिप्स & ट्रिक्स रिव्यू कंपेयर फोटो विडियो

नवभारत टाइम्स

टिप्स & ट्रिक्स



Know everything about
share market—FirstSt...

Ad: ShareKhan

आप यहां हैं - होम » टेक » टिप्स & ट्रिक्स » Sharing Objectionable Content On Net Is An Offence

नेट पर कॉन्टेंट डालें लेकिन सोचकर

नवभारतटाइम्स.कॉम | Oct 26, 2014, 09.11 AM IST



SMIT BTech Admission 2016

High Placement Rate. Admissions Open 2016,
Apply Now!
smu.edu.in/BTech_Admissions_2016

Best SIP Investment Plans

Invest in best top funds & avail higher returns.
Invest in 2 Mins.
www.myuniverse.co.in/ZipSip

Ads by Google

राजेश चौधरी, नई दिल्ली

हाल ही में पुणे पुलिस ने एक आदेश जारी कर कहा है कि वॉट्सऐप पर अगर कोई कॉन्टेंट डाला जाता है और वह आपत्तिजनक है तो ऐसा कॉन्टेंट डालने वाले शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अगर कॉन्टेंट किसी ग्रुप में डाला जाता है तो वॉट्सऐप पर इस तरह का ग्रुप बनाने वाले एडमिन के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। कानूनी जानकार बताते हैं कि कोई भी कॉन्टेंट जो कानून की नजर में गलत है और व कॉन्टेंट अगर नेट व सोशल साइट्स पर डाला जाता है तो ऐसा कॉन्टेंट डालने वाले शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने का प्रावधान है।



फोटो शेयर करें

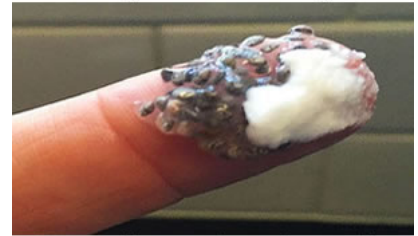


ऐसी और खबरें तुरंत पाने के लिए NBT Tech को फेसबुक www.facebook.com/NBTTechnology पर लाइक और ट्विटर @NbtTech पर फॉलो करें।

सोशल साइट व नेट पर डाले गए कोई भी कॉन्टेंट जो कानूनी तौर पर गलत है तो उसके लिए आईटी एक्ट के तहत प्रावधान किया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व स्टैंडिंग काउंसिल पवन शर्मा बताते हैं कि ऐसा कोई कॉन्टेंट जो दूसरे की भावनाओं को आहत करता है या फिर दो समुदाय में नफरत फैलाता है या फिर मानहानि करता है या फिर किसी तरह से कानून का उल्लंघन करता है तो ऐसे कॉन्टेंट डालने वाले के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। अगर ऐसा कॉन्टेंट किसी वॉट्सऐप ग्रुप में डाला जाता है और वह सर्कुलेट किया जाता है तो निश्चित तौर पर ग्रुप एडमिन भी जिम्मेदार होगा। अगर ग्रुप एडमिन ने ऐसे कॉन्टेंट डालने वाले के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे ग्रुप में बैन कर दिया हो और उस कॉन्टेंट को हटा दिया हो तो यह उसका बचाव हो सकता है। क्योंकि ऐसे ग्रुप का गलत इस्तेमाल करना और ऐसे कॉन्टेंट डालना और सर्कुलेट करना इसे बढ़ावा देने के बराबर है। कोई कंटेंट डालता है और दूसरा अगर उसको लाइक करता है और वह कॉन्टेंट आपत्तिजनक है तो दोनों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।

साइबर मामलों के एक्सपर्ट पवन दुग्गल बताते हैं कि कोई भी कॉन्टेंट जो आपत्तिजनक है और कानूनी तौर पर गलत है अगर उसे नेट पर डाला जाता है तो निश्चित तौर पर ऐसा कॉन्टेंट डालने वाला शख्स और ग्रुप एडमिन जिम्मेदार होगा। आपत्तिजनक कॉन्टेंट डालने वाले शख्स और ग्रुप एडमिन दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर ग्रुप एडमिन स्ट्रेटर को इस तरह के आपत्तिजनक कॉन्टेंट के बारे में जारी दी जाती है और उससे शिकायत की जाती है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वह तुरंत ऐसे कॉन्टेंट को रिमूव करे। अगर वह इसमें लापरवाही करता है या फिर कॉन्टेंट नहीं हटाता तो एडमिन के खिलाफ भी कार्रवाई होगी।

Shocking Skin Whitening Trick



26-year-old angers doctors by revealing her simple skin whitening trick. [Read](#)

MyFreeTechSolutions.com

SENIOR LIVING APARTMENTS
STARTING @ 38 LACS
Call : 80806 75005

GAGAN
nuli
KAMSHET, LONAVLA

विडियो >



जस्ट डायल Q3 का मुनाफ़ा
रहा 16% नीचे



फूजिफिल्म ने 'एक्स-
सीरीज़' के डिजिटल कैमरे
बाज़ार में उतारे



Company Registration
Starting From Rs.15899 /-

टिप्स & ट्रिक्स से सुपरहिट >

- नेटफ्लिक्स: जानें, कैसे करें इस्तेमाल और क्या खास है इसमें
- स्टार्ट अप मतलब नई जिंदगी की शुरुआत
- फोन चोरी हो गया तो करें लॉक
- बड़े काम के ये फ्री सॉफ्टवेयर
- घर का इंटरनेट हो स्लो तो काम आएं ये ट्रिक्स

अगर कोई शख्स सोशल मीडिया या दूसरे ऑनलाइन मीडियम से किसी और की भावनाओं को भड़काता है, अपवाह फैलाता है या फिर किसी और की छवि खराब करता है, या फिर कोई भी ऐसी हरकत करता है जिससे दूसरे की इमेज खराब हो रही हो या फिर मानहानि हो रही हो, तो ऐसे में आईटी एक्ट की धारा-66 ए के तहत केस दर्ज किए जाने का प्रावधान है। अगर जानकारी झूठी हो और उस कारण किसी अन्य शख्स को आघात हुआ हो या उसका डिफेमेशन हुआ है या फिर दो समुदाय में नफरत फैली हो या फिर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा हो तो ऐसे किसी मामले में आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज हो सकता है।

साइबर मामलों के एक्सपर्ट विराग गुप्ता बताते हैं कि नेट यूजर्स को आईटी एक्ट के प्रावधानों के बारे में जानना जरूरी है। एक्ट में कॉन्टेंट डालने वाले परिभाषित हैं साथ ही जो उसके लिए प्लेटफॉर्म देता है वह भी परिभाषित हैं। नेट की सामग्री के लिए प्लेटफॉर्म देने वाले इंटरमिडियरी कहे जाते हैं और उन्हें आईटी एक्ट की धारा-79 के तहत छूट मिली हुई है यानी उनके खिलाफ एक्शन नहीं हो सकता।

जहां तक किसी ग्रुप के एडमिन का सवाल है तो उसे हम एजेंट के तौर पर देख सकते हैं। ऐसे एडमिन की जिम्मेदारी है कि उनके ग्रुप में ऐसे लोग शामिल हों जो कोई गैरकानूनी गतिविधि न करते हों। बावजूद इसके अगर किसी ने ग्रुप में ऐसा कॉन्टेंट डाला जो कानून के खिलाफ है तो एडमिन की जिम्मेदारी बनती है कि तत्काल उसे रोके और अगर वह ऐसा नहीं करता तो अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। आईटी एक्ट की धारा-66 ए का दायरा काफी व्यापक है। कोई भी ऐसा कॉन्टेंट जो कानून के नजर में गलत है, वह अगर सोशल साइट या फिर नेट के जरिये डाला जाता है तो वह अपराध की श्रेणी में आता है और इसके लिए आईटी एक्ट की धारा-66 ए के तहत केस दर्ज हो सकता है।

वैसे सरकार ने आईटी एक्ट की धारा-66 ए के तहत होने वाली गिरफ्तारी के मामले में गाइड लाइंस जारी कर रखी है। कानूनी प्रावधानों के मुताबिक आईटी एक्ट की धारा-66 ए के तहत अगर केस साबित हो जाए तो मुजरिम को अधिकतम 3 साल कैद की सजा हो सकती है और साथ ही जुर्माना भी हो सकता है इस मामले को जमानती अपराध की श्रेणी में रखा गया है।

डाउनलोड करें **Hindi News** ऐप और रहें हर खबर से अपडेट।

Tech News से जुड़े हर ताज़ा अपडेट पाने के लिए NBT के फ़ेसबुक पेज को लाइक करें



अपना कॉमेंट लिखें

चर्चित विडियो >



अनबॉक्सिंग: कैसा दिखता है 10,999 रुपए वाला Letv Le 1s स्मार्टफोन



आरकॉम और रिलायंस जियो के बीच हुआ 4 जी करार



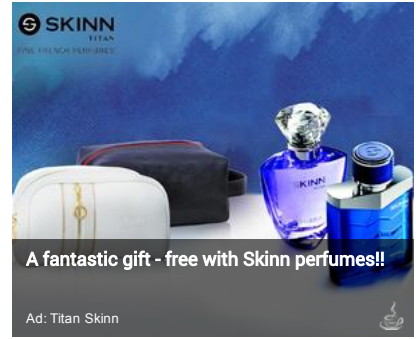
ऐपल को पछाड़ ऐल्फाबेट बनी अमेरिका की सबसे मूल्यवान कारोबारी कंपनी



इंटरनेट पर नहीं होना चाहिए कोई प्रतिबन्ध: गूगल

इन्हें भी पढ़ें

- सोशल मीडिया के लिए नया कानून जरूरी: SC
- मदरसों में 'गे', ऐसा नहीं कहा: AMU प्रफेसर
- आजाद रहेगा सोशल मीडिया
- आजम के खिलाफ पोस्ट पर गिरफ्तारी, SC ने मांगा जवाब
- सोशल मीडिया पर विरोध या आलोचना करना अपराध नहीं: केंद्र
- मायावती की आपत्तिजनक फोटो शेयर करने पर जेल
- सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अनजान ठाणे पुलिस!
- लिखने की आजादी, सोशल मीडिया से जुड़ा 'काला कानून' खत्म
- आजम खान के खिलाफ पोस्ट पर यूपी पुलिस ने 11वीं के छात्र को जेल भेजा
- 'बदनाम हुई मैं आपकी वजह से'



A fantastic gift - free with Skinn perfumes!!

Ad: Titan Skinn

FROM AROUND THE WEB

Is your business ready for future challenges?

vodafonebusinessservices



Enjoy 25 years of holidays @ EMI Rs. 4,199* Sterling Holidays



Calculate the monthly SIPs needed to achieve Uti Mutual Fund

TIMESPOINTS

8



stock market?

Take your FirstStep Sharekhan

FROM NAVBHARAT TIMES



इशरत पर यह क्या बोले केजरी!



बेटी को लगी चोट, मीडिया से नाराज हुई ऐश्वर्या राय बच्चन



जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार गिरफ्तार

Recommended By Colombia

टेक से और >

- 4000 mAh बैटरी वाला स्मार्टफोन 'ज़ोलो ईरा 4K'
- 3जीबी रैम वाला स्मार्टफोन 'इंटेक्स क्लाउड क्रिस्टल 2.5D' लॉन्च
- इन 6 टिप्स से फेसबुक को रखें साफ, सुरक्षित और प्राइवेट
- जानें, टूकॉलर के 7 छिपे हुए फीचर

टिप्स & ट्रिक्स से और >

- प्लानिंग की प्लेट
- जानिए, कैसे लें बिना इंटरनेट गूगल और ट्विटर का मजा

Are you a School Student?

70 Lakh+ CBSE Students are studying on meritnation. Where are you?
meritnation.com/Join_them_Now

SIP Investment Plans

Invest as low as Rs 1000/month in Top Performing SIPs. Free Register!
www.myuniverse.co.in/ZipSip

Ads by Google

अपना कॉमेंट लिखें

नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं। हिंदी टाइपिंग (इन्स्क्रिप्ट) जाननेवाले पहला ऑप्शन चुनें। हिंदी टाइपिंग नहीं जानते तो दूसरा ऑप्शन चुनें जिससे आप अंग्रेजी अक्षरों में लिखकर हिंदी में टाइप कर सकते हैं - meri raay hai... अपने-आप मेरी राय है...में बदल जाएगा। आप चाहें तो चौथा ऑप्शन चुनकर वर्चुअल कीबोर्ड की मदद भी ले सकते हैं। अगर इंग्लिश में ही लिखना है तो तीसरा ऑप्शन चुनें। **नियम एवं शर्तें**

[हिंदी में लिखें \(इन्स्क्रिप्ट\)](#) | [हिंदी में लिखें \(अंग्रेजी अक्षरों में\)](#) | [Write in English](#) | [वर्चुअल कीबोर्ड](#)

कॉमेंट में किसी भी तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग न करें। ध्यान रहे, अपने कॉमेंट के लिए कानूनन आप स्वयं जिम्मेदार हैं। टाइप करने के लिए यहां क्लिक करें।

Hindi Typing by Quillpad

[Share on facebook](#) [Share on twitter](#)

आपका कॉमेंट लाइव होते ही इसकी सूचना आपको ईमेल से दी जाएगी

पोस्ट करें

नीचे नजर आ रहे कॉमेंट अपने-आप साइट पर लाइव होते हैं। हमने फिल्टर लगा रखे हैं ताकि कोई आपत्तिजनक शब्द या कॉमेंट लाइव न होने पाए। लेकिन अगर ऐसा कोई कॉमेंट लाइव हो जाता है जिसमें अनर्गल व आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, गाली या भद्दी भाषा है या व्यक्तिगत आक्षेप है, तो उस कॉमेंट के साथ लगे 'आपत्तिजनक' लिंक पर क्लिक करें। उसके बाद आपत्ति का कारण चुनें और सबमिट करें। हम उस पर कार्रवाई करते हुए उसे जल्द से जल्द हटा देंगे।

अपना कॉमेंट खोजने के लिए अपने कीबोर्ड पर एकसाथ ctrl और F दबाएं व अपना नाम टाइप करें

कॉमेंट्स(0)

इस आर्टिकल पर कोई कॉमेंट नहीं है। आप अपना कॉमेंट पोस्ट करें

- आपके स्मार्टफोन के लिए 7 छिपी हुई, मगर काम की ट्रिक्स
- आपके गैजट्स के बहुत काम आएंगे ये 9 टेक टिप्स
- 9 ट्रिक्स: फोन से बेहतरीन फोटो खींच सकेंगे आप

AVAILABLE IN STORES

	OnePlus X (Champagne, 16GB) - Invite Only : E1003 ₹ 16,999	amazon.in
	Moto G (3rd Generation)(Black, 16 GB) ₹ 10,999	flipkart.com
	Lenovo A7000 Turbo 16gb Matte Black 4g ₹ 10,915	snapdeal
	Lenovo K3 Note(Black, 16 GB) ₹ 9,999	flipkart.com
	Apple iPhone 5S 16 GB (Silver) ₹ 22,899	snapdeal

Powered by BuyT.in

[Property in Goa](#)[Goa Property](#)

Today	7 Days	30 Days
	Atul Singh jadaun SILVER	560 Points
	Saurabh GOLD	539 Points
	Jawahar Agrawal SILVER	523 Points
	Deepak Chand Pant SILVER	512 Points
	Narendra Singh SILVER	500 Points
TIMESPOINTS		



Expecting a Baby?

Know More About Stem Cell Banking and Get a Prenatal Yoga DVD Free

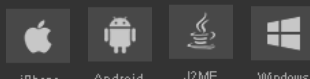
[Register](#)

खबरें एक झलक में

भारत खेला दिल्ली
 मूवी-मस्ती NBT ब्लॉग मुंबई

हमेशा कनेक्टेड रहें

नवभारत टाइम्स की ऐप के साथ

**हमारी दूसरी साइट्स**

Times of India | Economic Times | iTimes | Marathi News
 | Bangla News | Kannada News | Gujarati News | Tamil
 News | Telugu News | Malayalam News | Business

जोक्स	अपना ब्लॉग	लखनऊ	Insider ZoomTv Gizmodo Lifehacker BoxTV
टेक	घर-परिवार	अन्य शहर	Gaana Shopping IDiva Astrology Matrimonial
ऑटो	फोटो धमाल	दुनिया	नवभारत टाइम्स ऑन फेसबुक
बिज़नेस ET	संडे NBT	राशिफल	 Like 3,748,533 people like this.
विचार	NBT मोबाइल	NBT ऐप	

Hindi News	Funny jokes in Hindi	Kundali matching	Delhi news in Hindi	Rashifal	Pune News	Mumbai News	Funny Image	Bihar News	Lucknow News
------------	----------------------	------------------	---------------------	----------	-----------	-------------	-------------	------------	--------------

About Us | Advertise with Us | Terms of Use and Grievance Redressal Policy | Privacy Policy | Feedback | Sitemap

Copyright © 2015 Bennett Coleman & Co. Ltd. All rights reserved. For reprint rights: **Times Syndication Service**
This site is best viewed with Internet Explorer 6.0 or higher Firefox 2.0 or higher at a minimum screen resolution of 1024x768